राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– श्री हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :– 56/2023

शिवलाल वगै0 बनाम झुमादेवी वगै0

1. सुबेदार शिवलाल उम्र 82 वर्ष पुत्र स्व0 नोपाराम जाति जाट निवासी हमीरवास बजावा तह व जिला झुन्झुनू।
2. फुलचन्द आयु 77 वर्ष पुत्र स्व0 नोपाराम जाति जाट निवासी हमीरवास बजावा तह व जिला झुन्झुनू।
3. "मृतक" नाहर सिंह पुत्र स्व0 नोपाराम जाति जाट निवासी हमीरवास बजावा तह व जिला झुन्झुनू।(दौराने अपील देहान्त हो गया)

3/1. राकेश कुमार उम्र 42 वर्ष पुत्र स्व0 श्री नाहर सिंह जाति जाट निवासी हमीरवास बजावा तह व जिला झुन्झुनू।

3/2. राजपाल आयु 35 वर्ष पुत्र स्व0 श्री नाहर सिंह जाति जाट निवासी हमीरवास बजावा तह व जिला झुन्झुनू।

आवेदकगण

बनाम

1. श्रीमती झुमादेवी आयु 73 वर्ष पत्नी स्व0 नारूराम सैनी जाति सैनी निवासी पुरानी ढाणी बड़ागांव तह गुढागौड़जी जिला झुन्झुनू।
2. बहादुरमल आयु 55 वर्ष पुत्र स्व0 नारूराम सैनी जाति सैनी निवासी पुरानी ढाणी बड़ागांव तह गुढागौड़जी जिला झुन्झुनू।
3. गिरधारीलाल आयु 53 वर्ष पुत्र स्व0 नारूराम सैनी जाति सैनी निवासी पुरानी ढाणी बड़ागांव तह गुढागौड़जी जिला झुन्झुनू।
4. रामनिवास आयु 50 वर्ष पुत्र स्व0 नारूराम सैनी जाति सैनी निवासी पुरानी ढाणी बड़ागांव तह गुढांगौड़जी जिला झुन्झुनू।
5. रामप्रसाद आयु 48 वर्ष पुत्र स्व0 नारूराम सैनी जाति सैनी निवासी पुरानी ढाणी बड़ागांव तह गुढागौड़जी जिला झुन्झुनू।
6. "मृतक" मालीराम उर्फ मल्लूराम पुत्र स्व0 तुलसाराम जाति सैनी निवासी पुरानी ढाणी बड़ागांव तह गुढागौड़जी जिला झुन्झुनू। (दौराने अपील देहान्त हो गया)

6/1. श्रीमती रूकमणी देवी पत्नी स्व0 मालीराम जाति सैनी निवासी पुरानी ढाणी बड़ागांव तह गुढागौड़जी जिला झुन्झुनू।

6/2. कैलाशचन्द्र पुत्र स्व0 मालीराम जाति सैनी निवासी पुरानी ढाणी बड़ागांव तह गुढागौड़जी जिला झुन्झुनू।

6/3. सन्जु देवी पुत्री स्व0 मालीराम पत्नी होशियार सिंह जाति सैनी निवासी पुरानी ढाणी बड़ागांव तह गुढागौड़जी जिला झुन्झुनू।

6/4. सरोज देवी पुत्री स्व0 मालीराम पत्नी मुकेश कुमार जाति सैनी निवासी पुरानी ढाणी बड़ागांव तह गुढागौड़जी जिला झुन्झुनू।

Scanned with OKEN Scanner

6/5. मन्जु देवी पुत्री स्व0 मालीराम पत्नी राकेश कुमार जाति सैनी निवासी पुरानी ढाणी बड़ागांव तह गुढागौड़जी जिला झुन्झुनू।

6/6. मीनु पुत्री स्व0 मालीराम जाति सैनी निवासी पुरानी ढाणी बड़ागांव तह गुढागौड़जी जिला झुन्झुनू।

7. चन्दगीराम आयु करीब 63 वर्ष पुत्र स्व0 तुलसाराम जाति सैनी निवासी पुरानी ढाणी बड़ागांव तह गुढागौड़जी जिला झुन्झुनू।

8. मनीराम आयु 61 वर्ष पुत्र स्व0 तुलसाराम जाति सैनी निवासी पुरानी ढाणी बड़ागांव तह गुढागौड़जी जिला झुन्झुनू।

9. पीरूराम आयु करीब 58 वर्ष पुत्र स्व0 तुलसाराम जाति सैनी निवासी पुरानी ढाणी बड़ागांव तह गुढागौड़जी जिला झुन्झुनू।

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुन्झुनू।

11. श्रीमती मोहनी देवी पुत्री स्व0 तुलसाराम पत्नी हरिराम जाति माली निवासी बैराला हाल वार्ड नम्बर 9 उदयपुरवाटी।

12. श्रीमती राजादेवी पुत्री स्व0 तुलसाराम पत्नी नन्दलाल जाति माली निवासी बैराला हाल वार्ड नम्बर 9 उदयपुरवाटी।

अनावेदकगण/अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अं. धारा 251 (क)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

दिनांक 18/10/24

विवेचन

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम हमीरवास (बजावा) तह व जिला झुन्झुनू में भूमि खसरा नम्बर 449/278, 450/278, 451/278 का खातेदार काश्तकार है। अनावेदक के खेत मे खसरा नम्बर 273 व 274 से जो कदीमी रास्ता वर्तमान में चल रहा है उसी अनुसार 12 फीट चौड़ा रास्ता लेना चाहते हैं। उक्त बावत प्रार्थना पत्र पेश करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 18.03.2013 को न्यायालय द्वारा रास्ता देने बावत आदेश पारित किया गया था। अनावेदकगण द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने पर पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुन्झुनू द्वारा आदेश दिनांक 18.03.2013 अपास्त किया जाकर इस निर्देश के साथ रिमान्ड होकर प्राप्त हुई कि धारा 251 ए के आज्ञापक प्रावधानों की पालना में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर वाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। आवेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का पेश करने पर न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर संशोधित शीर्षक पत्रावली में शामिल किया गया। तहसीलदार झुन्झुनू से पुनः मौका रिपोर्ट चाही गई । तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा पत्रांक राज0/251 क/2024/146 दिनांक 09.02.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई जिसे शामिल मिशल किया गया। तहसीलदार मौका रिपोर्ट दिनांकित 09.02.2024 पर अनावेदकगण 7 लगायत 9 द्वारा एतराज प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिस पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। एतराज प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया गया। पत्रावली पर बहस मौका रिपोर्ट बाबत सुनी गई। दौराने बहस वकील अनावेदक ने कथन किया कि वह खसरा नम्बर 273 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे 4 मीटर चौड़ा रास्ता देने के लिए तैयार है तथा रास्ता भूमि के

बदले आवेदक उतनी ही भूमि राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 273 के खातेदार के नाम दर्ज करावे।

वकील आवेदक ने उक्त के जबाव में कथन किया कि आवेदक ने पूर्व में ही आदेश दिनांक 18.03.2013 की पालना में डीएलसी राशि की दौगूनी राशि राजकोष में जमा करवा दी है, उसी अनुसार जो पूर्व में दर्ज रास्ता है उसे ही बहाल किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जाकर बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। खसरा नम्बर 278 में पहुंच हेतु खसरा नम्बर 274 एवं 273 में से पूर्व में दिया गया था। वर्तमान में खसरा नम्बर 273 के आवेदक ने कथन किया कि वह पूरा रास्ता भूमि खसरा नम्बर 273 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे देने को तैयार है जिसके बदले उसे खसरा नम्बर 278 की दक्षिणी सीमा के सहारे जमीन दी जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य जाहिर है कि खसरा नम्बर 278 के खातेदार को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

आवेदक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर ग्राम हमीरवास (बजावा) के भूमि खसरा नम्बर 278 में पहुंच हेतु भूमि खसरा नम्बर 273 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे 4 मीटर का रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। खसरा नम्बर 273 में से रास्ता में जाने वाली भूमि बाबत आवेदक उक्त रास्ता भूमि के बदले उतनी ही भूमि (जितनी रास्ता दर्ज करने हेतु खातेदारी से कम हुई है।) अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 278 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे खसरा नम्बर 273 के खातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। चूंकि माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुन्झुनू द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 18.03.2013 को अपास्त किया जा चुका है, अतः उक्त आदेश की पालना में जमा करवाई गई राशि जमाकर्ता को लौटाई जाकर पूर्व आदेश दिनांक 18.03.2013 की पालना में राजस्व रिकार्ड में किया गया अंकन भी हटाया जावे। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वे उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रवाली फ़ैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 18/10/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 18/10/24
(हवाई सिंह यादव)
उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

Scanned with OKEN Scanner